

विश्वी ज्वालना सौकरणी:-

उत्तर:- विन्ना केन डा रांन सौकरणी ।

दक्षिण:- नील विन्ना केन ।

पूरुब:- ताणिल केन विन्ना डा सौकरणी एवं

प्लॉट नं० 2236 रांन अधारणी ।

पश्चिम:- प्लॉट नं० 2204

मासुकरणी 10 पैना विन्ना पैना ज्वालने केन बनना ।

[1] सुंकि मुक केनकरणी को ज्वालने करीदने एवं डा खाने हेतु रूपयों की करत पड़ी विश्वी ज्वालना ज्वालने के तरेर सम्म न हुं और तब मैने केनकरणी से मेरी ज्वालने करीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने करीदना एवं रूपये देना स्वीकार की ।

[2] जबकि मैने अपनी कथा से शरीर को मन की स्वास्था में रहकर उपर जाना संघात प्लॉट में तर्जित ज्वालने को उपरुका केनकरणी की हे हाथ न्याय कीका मुक्ता पाऊ केन और केरी गई ज्वालने डा कुन हड लकन को अधिकार उका केनकरणी को उनके उत्तराधिकारियों के हाथ नया दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । उद से मेरी गई ज्वालने पर न मेरा कोई एक मरनेकार रमा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी वा सक्षमाधन डा कोई एक मरनेकार रमा और न आइन्दा रहेगा ।


सुंकि - विन्ना केन
2-2/07/08



13] में प्रमाण बताता है कि बिछी की जायदादी कमीन
मेरी जायदादी कमीन है जिसके जायदादी पैसा मेरे परदादा
राजी उरासि मे । उरासि का बिछी की जायदादी कमीन की
ज्यादादी मेरे एवं उरासि के नाम मे लग रही है । उका कमीन
मेरे गिना हिली की कमीन है जिसका पैसा निर्दिष्ट एक एक
सो बचना है और बिछी प्रकार का नाम मा लगाना होकर नहीं
है ।

14] मुँकि हम उरासि एवं आदिलगरी समाज के मुखिया सदस्य हैं
आ: कमीन अलीद बिछी के उरासि के जिस बीमान उरा समाजवादी
भूमि सुधार, सिमलिया के न्यायालय में जोदाबागपुर कार्याकारी
अधिनिगम की धारा 46 के तहत आपेदन किया । जिसका वाद
संख्या 117/2008-2009 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 24.8.08 को
प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 1007 दिनांक 24.8.2008 है ।

सो/60/22
22/09/08
रा.स.स.स.स.स.



--5--

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काचिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करे ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

सही - विजय शर्मा
22/09/08



-6-

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन
वो क्वचत जमीन सिविलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही - विजय उरांव
22/09/08



सही - विजय उरांव
22/09/08

प्रमाणित किया जाता है कि विजय
उरांव ने अपने बायें हाथ की
पाँचों अँगुलियों का छाप मेरे
सामने दिखाया सही अरुवा कुमाय,
अधिकारी ना : 22-9-2008



--7--

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन को खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन मिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

ज्योति सौरिंग
22/9/08



सह - विजय इराण
22/09/08

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रति ज्योति सौरिंग ने अपने बायें हाथ की पाँचों अँगुलियों का छाप मेरे सामने ही। सही अंकना कुमार, अम्बिका ला : 22-9-2008

22/9/08



--8--

उभय पक्षों के बीच अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- अरवि कुमार,
अभिप्रेत
प्रारूपकर्ता
तारीख:- 22-9-2008

सही - विजय 22/9/08
22/09/08



--9--

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल नौ पृष्ठों में कुल 586 शब्द टंकित हैं जो खरबन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
 श्री ० मकसुद
 ११-१-१९४८

श्री ० मकसुद
 कचहरी परिसर,
 सिमडेगा ।

विजय ३१/१९
 २२/०१/०४